

# कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-7 द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाष नम्बर 0141-2712993

Email: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक:-जिपस/समग्रशिक्षा/जय/2025-26/यथा हस्ताक्षर

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

## राशि आहरण स्वीकृति आदेश 2025-26

### Inclusive Education एस्कोर्ट भत्ता (कक्षा 1-8)

रास्कूशिप जयपुर के दिशा-निर्देश क्रमांक 15484845/12.06.2025 एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17284264/26.08.2025 तथा वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति क्रमांक 17538271/04.09.2025 के अनुसार राजकीय विद्यालय में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को घर से विद्यालय तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ है, उन्हें एस्कोर्ट के साथ आने हेतु राशि 300/-रु. प्रतिमाह (10 माह जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 हेतु कुल 3000/-रु. प्रति बालक-बालिका) का भुगतान किया जाना है। इस क्रम में जयपुर जिले के निम्न ब्लॉकों में से बालक-बालिकाओं हेतु निम्नानुसार राशि हाजा कार्यालय के एसएनए खाते आरजे 523 से निम्न सीबीईओ कार्यालयों को आहरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

S.no.	Block	No. of CWSN	Per Month 300/- for 10 Month Total Rs.3000/-per CWSN (July.2025 to Apr.2026)
1	Amer	24	72000
2	Andhi	27	81000
3	Bassi	64	192000
4	Chaksu	61	183000
5	DUDU	22	66000
6	Govindgarh	52	156000
7	Jaipur East	66	198000
8	Jaipur West	27	81000
9	Jalsu	30	90000
10	Jhotwara	26	78000
11	Jhotwara City	45	135000
12	Jobner	25	75000
13	J-Ramgarh	51	153000
14	K.Renwal	33	99000
15	Kotkhawada	23	69000
16	Kotputli	47	141000
17	Madhorajpura	21	63000
18	Mojmabaad	30	90000
19	Paota	29	87000
20	Phagi	38	114000
21	Sambhar	32	96000
22	Sanganer	49	147000
23	Sanganer City	20	60000
24	Shahpura	34	102000
25	Tunga	29	87000
26	Viratnagar	35	105000
	<b>TOTAL</b>	<b>940</b>	<b>2820000</b>

अक्षरे राशि अठारह लाख बीस हजार रु. मात्र।

RajKaj Ref No.:  
18296378



eSign 1.0

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. राशि का उपयोग संबंधित मद में ही किया जाये।
2. उपर्युक्त राशि एसएनए पोर्टल के कम्पोनेट Provision for Children Special Needs (CWSN) में हस्तांतरित की जायेगी।
3. राशि का उपयोग उक्त के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जाये।
4. विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल प्रपत्र-9 में भी राशि भुगतान की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. ब्लॉक कार्यालयों को राशि प्राप्त होते ही पूर्ण राशि तुरन्त पीईईओ/संबंधित विद्यालय को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।
6. विद्यालय द्वारा राशि का भुगतान निम्न समयावधि के अनुसार किया जाना है :-

माह का नाम जिसमें राशि जारी करनी है	माह जिनके लिए भुगतान किया जाना है
अक्टूबर 2025	जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक
नवम्बर 2025	अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तक
जनवरी 2026	जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, समावेशित शिक्षा, रास्कूशिप जयपुर।
2. संबंधित सीबीईओ।
3. लेखा शाखा हाजा कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर

# कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-7 द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाष नम्बर0141-2712993

Email: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक:-जिपस/समग्रशिक्षा/जय/2025-26/यथा हस्ताक्षर

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

## राशि आहरण स्वीकृति आदेश 2025-26

### Inclusive Education एस्कोर्ट भत्ता (कक्षा 9-12)

रास्कूशिप जयपुर के दिशा-निर्देश क्रमांक 15484845/12.06.2025 एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17284280/26.08.2025 तथा वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति क्रमांक 17538279/04.09.2025 के अनुसार राजकीय विद्यालय में कक्षा-9 से कक्षा-12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को घर से विद्यालय तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ है, उन्हें एस्कोर्ट के साथ आने हेतु राशि 300/-रु. प्रतिमाह (10 माह जुलाई 2025 से अप्रैल 2026) हेतु (3000 रु. प्रति बालक-बालिका) का भुगतान किया जाना है। इस क्रम में जयपुर जिले के निम्न ब्लॉकों में से बालक-बालिकाओं हेतु निम्नानुसार राशि हाजा कार्यालय के एसएनए खाते आरजे 523 से निम्न सीबीईओ कार्यालयों को आहरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

S.no.	Block	No. of CWSN	Per Month 300/- for 10 Month Total Rs.3000/-per CWSN (July.2025 to Apr.2026)
1	Amer	12	36000
2	Andhi	17	51000
3	Bassi	29	87000
4	Chaksu	25	75000
5	DUDU	17	51000
6	Govindgarh	23	69000
7	Jaipur East	19	57000
8	Jaipur West	11	33000
9	Jalsu	20	60000
10	Jhotwara	7	21000
11	Jhotwara City	22	66000
12	Jobner	14	42000
13	J-Ramgarh	26	78000
14	K.Renwal	6	18000
15	Kotkhawada	14	42000
16	Kotputli	11	33000
17	Madhorajpura	8	24000
18	Mojmabaad	5	15000
19	Paota	12	36000
20	Phagi	14	42000
21	Sambhar	12	36000
22	Sanganer	18	54000
23	Sanganer City	24	72000
24	Shahpura	10	30000
25	Tunga	20	60000
26	Viratnagar	16	48000
	<b>TOTAL</b>	<b>412</b>	<b>1236000</b>

अक्षरे राशि बारह लाख छत्तीस हजार रु. मात्र।

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. राशि का उपयोग संबंधित मद में ही किया जाये।
2. उपर्युक्त राशि एसएनए पोर्टल के कम्पोनेट **Inclusive Education (Student) Oriented Component Upto Highest Class X or XII** में हस्तांतरित की जायेगी।
3. राशि का उपयोग उक्त के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जाये।
4. विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल प्रपत्र-9 में भी राशि भुगतान की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. ब्लॉक कार्यालयों को राशि प्राप्त होते ही पूर्ण राशि तुरन्त पीईईओ/संबंधित विद्यालय को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।
6. विद्यालय द्वारा राशि का भुगतान निम्न समयावधि के अनुसार किया जाना है :-

माह का नाम जिसमें राशि जारी करनी है	माह जिनके लिए भुगतान किया जाना है
अक्टूबर 2025	जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक
नवम्बर 2025	अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तक
जनवरी 2026	जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, समावेशित शिक्षा, रास्कूशिप जयपुर।
2. संबंधित सीबीईओ।
3. लेखा शाखा हाजा कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर